न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

प्रकरण क्रमांक रिव्यू - 668/PBR/2011

देवी सिंह आ० प्रेमराज लोधी
निवासी-ग्राम-किनगी ------ आवेदक
तह०बरेली जि० रायसेन।

-- विरुद्ध --

- म०प्र० शासन ------ अनावेदक

पुर्नः विलोकन अन्तर्गत धारा-51 म०प्र०भू रा० संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक द्वारा अपील प्र०क्र० 2786/II/02 में पारित आदेश दिनांक 31/02/2011 से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह पुर्नः विलोकन निम्नलिखित - तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 688–पीबीआर/11 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31–1–2011 का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	